PTCUL

पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
CIN:- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
E-mail:- hr@ptcul.org
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 वैबसाईट www.ptcul.org

पत्रांकः 1060 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईओ–02 दिनांकः 07.07.2025

कार्यालय ज्ञाप

श्री महेश रावत, अधिशासी अभियन्ता (जानपद) द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.2015 के द्वारा कारपोरेशन आदेश सं0 1649/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईओ–2 दिनांक 23.11.2015 के द्वारा निर्गत सहायक अभियन्ता (जानपद) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची में उन्हें प्रोन्नत सहायक अभियन्ता (जानपद) द्वारा पदोन्नत पद पर दिनांक 22.08.2009 को योगदान आख्या प्रस्तुत करने तथा उनके द्वारा दिनांक 10.06.2010 को सहायक अभियन्ता (जानपद) के सीधी भर्ती के पद पर योगदान आख्या प्रस्तुत करने के फलस्वरूप समान चयन वर्ष होने के कारण उनके द्वारा वरिष्ठता सूची 50:50 के अनुपात में व्यवस्थित किये जाने का अनुरोध किया गया।

इसके उपरान्त श्री महेश रावत, अधिशासी अभियन्ता (जानपद) द्वारा कारपोरेशन आदेश सं0 1694/मा0सं0एवप्र0वि0/पिटकुल/ईओ–2/ईएस–2 दिनांक 26.09.2021 के द्वारा निर्गत अधिशासी अभियन्ता (जानपद) की अनन्तिम वरिष्ठता सूची के क्रम में उनकी वरिष्ठता से सम्बन्धित प्रत्यावेदन दिनांक 05.10.2021 प्रस्तुत किया गया, जिसके माध्यम से आदेश सं0 1694 मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ ईओ–2/ईएस–2 दिनांक 26.09.2021 के द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनको चयन वर्ष 2009–10 में प्रोन्नत सहायक अभियन्ता (जानपद) जो कि वर्तमान में अधिशासी अभियन्ता (जानपद) के पद पर कार्यरत हैं के साथ ज्येष्ठता सूची में एक–एक के क्रम में व्यवस्थित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

वर्तमान में श्री महेश रावत, अधिशासी अभियन्ता (जानपद) द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 21.06.2025 के द्वारा उनकी वरिष्ठता व्यवस्थित करने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा रिट याचिका सं0 579/2027 (एस0बी0), 130/2027 (एस0बी0), 543/2027 (एस0बी0), 550/2027 (एस0बी0), 554/2027 (एस0बी0) एवं 563/2027 (एस0बी0) में पारित निर्णय 27.06.2024 तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली–1998 के अनुसार उनको तत्कालीन सहायक अभियन्ता (जानपद) एवं वर्तमान में अधिशासी अभियन्ता (जानपद) की वरिष्ठता सूची में श्री प्रमोद कुमार ध्यानी, अधिशासी अभियन्ता (जानपद) से ऊपर प्रथम स्थान पर रखने का अनुरोध किया गया है।

श्री महेश रावत, अधिशासी अभियन्ता (जानपद) के उपरोक्त प्रत्यावेदनों के क्रम में निम्न तथ्यों का संज्ञान लिया गया :–

I. कारपोरेशन द्वारा सहायक अभियन्ता (जानपद) के 03 रिक्त पदों पर दिनांक 18.08.2008 (चयन वर्ष 2008–09) को विज्ञप्ति जारी की गयी।
II. उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष पूर्ण हुई चयन प्रक्रिया के उपरान्त श्री महेश रावत का सहायक अभियन्ता (जानपद) के पद पर चयन हुआ तथा उनको दिनांक 10.06.2010 (चयन वर्ष 2009–10) में सहायक अभियन्ता (जानपद) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी।

क्रमशः......पेज–2/–

III. श्री महेश रावत के नियुक्ति आदेश में एक वर्ष के प्रशिक्षण की अवधि निर्धारित की गयी थी जिसके अनुसार उनके द्वारा दिनांक 10.06.2011 को प्रशिक्षण पूर्ण किया गया।

IV. सहायक अभियन्ता (जानपद) के पदोन्नति के रिक्त पदों के विभागीय कोटे से पदोन्नति के फलस्वरूप चयन वर्ष 2009–10 में सहायक अभियन्ता (जानपद) के पदों पर पदोन्नति की गयी जिसके उपरान्त पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं द्वारा दिनांक 22.08.2009 (चयन वर्ष 2009–10) को सहायक अभियन्ता (जानपद) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया।

V. कार्यालय आदेश सं0 1649/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईओ–2 दिनांक 23.11.2015 के द्वारा सहायक अभियन्ता (जानपद) की अन्तिम वरिष्ठता सूची सहायक अभियन्ता (जानपद) सेवा नियमावली–1970 के बिन्दु–15 तथा **"Trained Engineer"** को परिभाषित कर निम्न तथ्यों का संज्ञान लेते हुए निर्धारित की गयी :–

सहायक अभियन्ता (जानपद) सेवा नियमावली 1970 के बिन्दु 15 में निम्नवत वर्णित है :–

(i) Combined waiting list:- Every first and fourth vacany is filled by a promoted officer (J.E or Computer as case may be) and remaining vacancies are filled by **'Trained Engineers'.**

'Trained Engineer' means a trainee engineer who after a course of successful training under the board is declared fit for appointment as an Assistant Engineer under the Board.

S.No	Name	Fathers Name/Husband Name	DOB	Home District	Educational Qualification	J-Date as JE	J-Date as AE	Cat.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sri Pramod Kr. Dhyani	Sri Krishn Kant Dhyani	01.11.69	Pauri Garhwal	Inter, Diploma (Civil)	09.08.02	22.08.09	GEN
2	Sri Harendra Singh Negi	Sri Bhupal Singh	01.06.68	Almora	Inter, Diploma (Civil)	09.08.02	22.08.09	GEN
3	Sri Dharmendra Kr. (P)	Sri Jagdesh Prasad	25.10.66	Pauri Garhwal	Inter, Diploma (Civil)	09.08.02	22.08.09	GEN
4	Sri Ranveer Singh	Sri Gurmeet Singh	23.09.75	Haridwar	Inter, Diploma (Civil)	09.08.02	22.08.09	OBC
5	Sri Yudhveer Singh	Sri Moti Ram	25.09.70	Haridwar	Inter, Diploma (Civil)	09.08.02	22.08.09	SC
6	Sri Mahesh Rawat	Sri S.S Rawat	01.07.85	Uttarakashi	Inter, M.Tech., Civil	-----	10.06.10	GEN

VI. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनयमावली–1998 के भाग–1 "प्रारंभिक" में निम्न व्यवस्था दी गयी है :–

नियम–1

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1998 कही जायेगी।

क्रमशः.......पेज–3/–

(2) **यह विनियमावली तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।**

2–लागू होना

यह विनियमावली उन सभी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के सेवकों पर लागू होगी जिनकी भर्ती और सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में परिषद द्वारा इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 की धारा 79 सी के अधीन विनियमावली बनाई जायेगी या बनायी जा चुकी है।

अध्यारोही प्रभाव

यह विनियमावली इससे पूर्व बनाई गयी किसी अन्य सेवाविनियमावली में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभाव होगी।

VII. श्री महेश रावत, अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिष्द सेवक ज्येष्ठता विनियमावली–1998 के भाग–2 प्रस्तर–8 (3) (दो) में दी गयी व्यवस्था कि **"जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटा से कम हो और ऐसी न भरी गयी रिक्तियों के प्रति नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाएं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं पायेंगे किन्तु वह उस वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे जिसमें उनकी नियुक्तियाँ की जाएं किन्तु उनके नाम शीर्ष पर रखे जायेंगे, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे"** का संज्ञान लिया गया।

VIII. मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा **Writ Petition (S/B) No. 579 of 2017 Uttarakhand Power Corporation Ltd. Vs M B Bhatt and others with Writ Petition (S/B) No. 130 of 2017 with Writ Petition (S/B) No. 543 of 2017 with Writ Petition (S/B) No. 550 of 2017 with Writ Petition (S/B) No. 552 of 2017 with Writ Petition (S/B) No. 554 of 2017 with Writ Petition (S/B) No. 563 of 2017** में पारित निम्नवत् निर्णय दिनांक 27.06.2024 का संज्ञान लिया गया :–

"17. Where the appointment from any source are less than the prescribed quota and against such unfilled vacancies, the appointments are made in the subsequent year or years than the persons appointed in this way will not get seniority of any previous year but they will get seniority of that year, in **which there appointments are made but their names will be kept at the top, after which the names of other appointed persons will be kept in sequence of turn.**

18. As far as the direct recruits were concern, the Hon'ble Supreme Court observes that even if a person is appointed by way of direct recruitment on ad hoc basis, he will be confirmed after probation, **however, he becomes part of the service cadre on the date of his initial appointment.**

19. The Hon'ble Supreme Court thereafter, in the year 2021 in the case of Muzeeb Burrahman and Ors. vs. UP Power Corporation Ltd. & Ors., (Civil Appeal Nos. 5646-5647 of 2021) was examining the same regulations of 1970 and 1998. While examining the UP Power Corporation Regulations, which are relevant in the present case also, the Supreme Court held that a **person appointed against a clear substantive vacancy in the direct recruit quota than legitimately claim to be born in the cadre from the date of his initial appointment and not after completion of training or probation."**

क्रमशः.......पेज–4/–

उपरोक्त से स्पष्ट है कि विभाग में स्पष्ट रिक्ति के विरूद्ध चयन के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कार्मिक को विभागीय सेवा में माना जायेगा न कि प्रशिक्षण अवधि या प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने के बाद।

IX. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनयमावली–1998 के भाग–2 के नियम–8 प्रतिबन्ध यह है कि:–
(दो) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटा से कम हों, और ऐसी न भरी गई रिक्तियों के प्रति नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में की जाए, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं पायेंगे किन्तु वह उस वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे जिसमें उनकी नियुक्ति की जाए किन्तु उनके नाम शीर्ष पर रखे जायेंगे, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे।

X. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनयमावली–1998 के भाग–3 ''ज्येष्ठता सूची'' के नियम–9 के
उपबिन्दु–(1) सेवा में नियुक्तियॉ होने के पश्चात यथासम्भव शीघ्र नियुक्ति प्राधिकारी इस विनियमावली के उपबन्धों के अनुसार सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त किये गये व्यक्तियों की एक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करेगा।
(2) **अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को सम्बन्धित व्यक्तियों में आपत्तियाँ आमंत्रित करते हुए युक्तियुक्त अवधि का नोटिस देकर जो अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के परिचालन के दिनांक से कम से कम 07 दिनों की होगी परिचालित किया जायेगा।**
(3) इस विनियमावली की शक्तिमता या विधिमान्यता के विरूद्ध कोई आपत्ति ग्रहण नहीं की जायेगी।
(4) नियुक्ति प्राधिकारी युक्तिसंगत आदेश द्वारा आपत्तियों का निराकरण करने के पश्चात् अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करेगा।

उपरोक्त वर्णित नियम–9(3) ''इस विनियमावली की शक्तिमता या विधिमान्यता के विरूद्ध कोई आपत्ति ग्रहण नहीं की जायेगी'' से स्पष्ट है कि भाग–1 प्रारंभिक नियम के 1, 2 एवं 3 तथा भाग–2 ज्येष्ठता की अवधाराणा नियम–8 तथा भाग–3 ज्येष्ठता सूची, को तैयार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 9(3) एवं पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में प्रभावी/प्रवृत्त उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली–1998 प्रभावी होने के उपरान्त वरिष्ठता निर्धारण हेतु सहायक अभियन्ता (जानपद) सेवा नियमावली 1970 के बिन्दु–15 एवं मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा **Writ Petition (S/B) No. 579 of 2017 Uttarakhand Power Corporation Ltd. Vs M B Bhatt and others with Writ Petition (S/B) No. 130 of 2017 with Writ Petition (S/B) No. 543 of 2017 with Writ Petition (S/B) No. 550 of 2017 with Writ Petition (S/B) No. 552 of 2017 with Writ Petition (S/B) No. 554 of 2017 with Writ Petition (S/B) No. 563 of 2017** में प्रशिक्षण अवधि को नियमित सेवा का भाग माने जाने सम्बन्धी पारित निर्णय के आलोक में सहायक अभियन्ता (जानपद) सेवानियमावली 1970 के बिन्दु–15 एवं बिन्दु सं0–18 के उपनियम (1) के पैरा–4 के प्राविधान ज्येष्ठता नियमावली 1998 के प्राविधानों से अतिक्रमित हो गये हैं।

क्रमशः.......पेज–5/–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं चयन वर्ष 2008–09 में सहायक अभियन्ता (जानपद) के रिक्त पदों पर दिनांक 18.08.2008 (चयन वर्ष 2008–09) को जारी विज्ञप्ति, उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष श्री महेश रावत द्वारा चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर सहायक अभियन्ता (जानपद) के पद पर दिनांक 10.06.2010 (चयन वर्ष 2009–10) को कार्यभार ग्रहण करने, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनयमावली–1998 के भाग–2 प्रस्तर–8 (3) (दो) में वर्णित व्यवस्था, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा **Writ Petition (S/B) No. 579 of 2017 Uttarakhand Power Corporation Ltd. Vs M B Bhatt and others with Writ Petition (S/B) No. 130 of 2017 with Writ Petition (S/B) No. 543 of 2017 with Writ Petition (S/B) No. 550 of 2017 with Writ Petition (S/B) No. 552 of 2017 with Writ Petition (S/B) No. 554 of 2017 with Writ Petition (S/B) No. 563 of 2017** में प्रशिक्षण अवधि को नियमित सेवा का भाग माने जाने सम्बन्धी पारित निर्णय के आलोक में प्रशिक्षण अवधि को सेवा का भाग मानते हुए श्री महेश रावत, अधिशासी अभियन्ता (जानपद) द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 26.11.2015, 05.10.2021 एवं 21.06.2025 पर सम्यक विचारोपरान्त कारपोरेशन आदेश सं0 1694/मा0सं0एवप्र0वि0/पिटकुल/ईओ–2/ईएस–2 दिनांक 26.09.2021 द्वारा अधिशासी अभियन्ता (जानपद) की निर्गत ज्येष्ठता को संशोधित करते हुए बिना किसी द्वेष भावना के एतद्द्वारा निम्नानुसार पुर्ननिर्धारित किया जाता है :–

S. No	Name	Fathers Name/ Husband Name	DOB	Home District	Educational Qualification	J-Date as JE	J-Date as AE/ Selection Year	J-Date as EE	Cat.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sri Mahesh Rawat	Sri S.S Rawat	01.07.85	Uttarakashi	Inter, M.Tech., Civil	---	10.06.10 (2009-10)	08.09.17	GEN
2	Sri Pramod Kr. Dhyani	Sri Krishn Kant Dhyani	01.11.69	Pauri Garhwal	Inter, Diploma (Civil)	09.08.02	22.08.09 (2009-10)	29.08.16	GEN
3	Sri Harendra Singh Negi	Sri Bhupal Singh	01.06.68	Almora	Inter, Diploma (Civil)	09.08.02	22.08.09 (2009-10)	29.08.16	GEN
4	Sri Dharmendra Kr. (P)	Sri Jagdesh Prasad	25.10.66	Pauri Garhwal	Inter, Diploma (Civil)	09.08.02	22.08.09 (2009-10)	29.08.16	GEN
5	Sri Ranveer Singh	Sri Gurmeet Singh	23.09.75	Haridwar	Inter, Diploma (Civil)	09.08.02	22.08.09 (2009-10)	03.09.16	OBC
6	Sri Yudhveer Singh	Sri Moti Ram	25.09.70	Haridwar	Inter, Diploma (Civil)	09.08.02	22.08.09 (2009-10)	01.09.16	SC

उपरोक्त पुर्ननिर्धारित ज्येष्ठता के सम्बन्ध में यदि उपरोक्त किसी/किन्हीं अधिशासी अभियन्ता (जानपद) को कोई आपत्ति हो तो वह अपना लिखित प्रत्यावेदन विलम्बतः **दिनांक 15.07.2025 की सायं 05:00 बजे** तक नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (जानपद) पुर्ननिर्धारित अनन्तिम वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल के सम्मुख व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अन्तर्गत **व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.2025 के प्रातः 10:00 बजे से सायं 05 बजे तक** का समय निर्धारित किया जाता है।

क्रमशः......पेज–6/–

दिनांक—15.07.2025—की—सायं—05:00—बजे- तक—लिखित—प्रत्यावेदन—प्राप्त—न होने- अथवा व्यक्तिगत सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 15.07.2025 के प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक उपस्थित न होने के उपरान्त किसी भी प्रत्यावेदन/सुनवाई पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा उपरोक्त पुर्ननिर्धारित ज्येष्ठता सूची को ही अन्तिम ज्येष्ठता मान लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार श्री महेश रावत, अधिशासी अभियन्ता (जानपद) के प्रत्यावेदनों दिनांक 26.11.2015, 05.10.2021 एवं दिनांक 21.06.2025 का निस्तारण किया जाता है।

07/07/2025

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक:1060/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/ईओ—02, तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव—प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव—निदेशक, (मा0सं0, पिटकुल को निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
3. मुख्य अभियन्ता (जानपद), पिटकुल, देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता (जानपद), पिटकुल यथा श्री प्रमोद कुमार ध्यानी, श्री हरेन्द्र सिंह नेगी, श्री धमेन्द्र कुमार, श्री रणवीर सिंह एवं श्री युद्धवीर सिंह को इस आशय से प्रेषित कि अधिशासी अभियन्ता, (जानपद) की अनन्तिम वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में यदि वह अपना लिखित प्रत्यावेदन देना चाहते है तो विलम्बतः **दिनांक 15.07.2025 की सायं 05:00 बजे** तक नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यदि वह अनन्तिम वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो **दिनांक 15.07.2025 के प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक** प्रबन्ध निदेशक कार्यालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो सकते हैं।
5. श्री महेश रावत, अधिशासी अभियन्ता, परियोजना जानपद, पिटकुल, श्रीनगर।
6. सम्बन्धित पत्रावली/कट फाईल।

7/7/25

(अनुपम सिंह)
उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)